(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
संजय शर्मा पुत्र जगदीश दत्त शर्मा जाति ब्राहम्ण, निवासी 32 गोपाल भवन, चौमू हाउस गुलाब पथ तबेला, सी. स्कीम, जयपुर		दीपसिंह पुत्र फरसरिंह जाति पुरोहित, निवासी रिंगोड़िया चेनाणियों की ढाणी, हरखाली तहसील बायतु, जिला बालोतरा .वगैरा (03)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) मुकदमा नम्बर 139/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.05.2024	प्रार्थी अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह भाटी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। अंतरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि विवादित आराजी मौजा प्रतापनगर के खसरा नम्बर 164/48 रकबा 19.4249 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त विवादित आरजी के संबंध में प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 के मध्य एक पंजीबद्ध आम मुख्तयारनामा दिनांक 24.07.2023 को दस्तावेज संख्या 202301064003315 पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 5 में पृष्ठ संख्या 68 क्रम संख्या 202303064400014 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 7 के पृष्ठ संख्या 291 से 295 पर चस्पा किया गया था। उक्त मुख्तयानामा अनुसार विवादित आराजी के संबंध में विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किरायानामा, लीज, बंटवारा व हकतर्क के समस्त अधिकार प्रार्थी को दिये गये। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। किन्तु वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मुझ प्रार्थी को सूचित किये बिना ही आम मुख्तयारनामा निरस्त करवा दिया गया है, जबकि पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार उपपंजीयक को नहीं है। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादित खसरा नम्बर के संबंध में जनरल पेमेन्ट वाउचर से जरिये चैक से प्राप्त कर उक्त भूमि को लीज पर देने हेतु सहमति जाहिर की गई है, जबकि वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 1 को ऐसा करने को कोई अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आम मुख्तयारनामा द्वारा प्रार्थी से किये गये करार को भंग कर उक्त विवादित आराजी का अन्य को लीज/किराया/हस्तांतरण किया जाता है, तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी , जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकेगी। साथ ही प्रार्थी के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः समस्त परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी नही करने तथा भूमि का बैचान, हस्तांतरण, रहन, लीज, किरायानामा आदि नहीं करने एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी में प्रार्थी एंव विप्रार्थी संख्या 1 [illegible] है। उक्त पंजीबद्ध मुख्तयानामा में विवादित आराजी के [illegible] विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को प्रदत्त किये [illegible] के अधिकार प्रार्थी को प्राप्त [illegible] है। वर्तमान में यदि विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त मुख्तयारनामा को प्रार्थी को सूचित किये बगैर निरस्त करवाया जाकर विवादित आराजी [illegible] बैचान, रहन, लीज या किरानामा का अन्य के साथ करार किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रार्थी को मुख्तयानामा से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 14:11:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त अधिकारो से भी महरूम रहना पडेगा एवं मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आरजी/आशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा प्रतापनगर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 164/48 रकबा 19.4249 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थी के पक्ष मे एव विप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है।

पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 12.06.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

12.6.24 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 07.8.24 को पेश हो।

07.8.24 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण की तामिली हेतु दिनांक 21.10.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

21.10.24 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित।
पत्रावली विप्रार्थीगण की तलबी हेतु दिनांक 02.12.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

2.12.24 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 29.1.25 को पेश हो।

29.01.25 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली विप्रार्थीगण की तलबी हेतु दिनांक 19.02.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 14:11:35 IST
Reason: SelfAttested

19.02.25 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 03.04.25 को पेश हो।

3/04/2025

Scanned with OKEN Scanner

रा० आवेदन सं. 139/2024 (2024/186)

भगवान संजय शर्मा v/s दीपसिंह

3/04/2025

पत्रावली आज पेश हुई।
आवेदन के सम्बन्ध में प्रार्थी अधिवक्ता को उपस्थित होने हेतु पृथक-पृथक तीन बार आवाज लगाई गयी, बावजूद अनु०, अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 14:11:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner